न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 07/2018

दायर दिनांकः 03.04.2018

निर्णय दिनांक 27.01.2020

—:अनवानः—

श्री मेघसिंह पिता विरदसिंह रावत निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द

————अपीलांट

—:बनामः—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम
2. लाखुसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. मिठुसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द
4. लाली पुत्री गोविन्दसिंह, जाति रावत,आयु वयस्क, निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द
5. केली पुत्री गोविन्दसिंह, जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द
6. हुकमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, आयु अवयस्क, निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द
7. संतोषसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, आयु अवयस्क, निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द
8. भूपेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, आयु अवयस्क निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द
9. मांगी पुत्री लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, आयु अवयस्क, निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द
10. कवरी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द

रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 9 नाबालिग जरिये संरक्षक माता कवरीदेवी पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, निवासी टिबाना, तहसील भीम जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 757 स्वीकृत दिनांक 12.07.2017 पारित द्वारा तहसीलदार, भीम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थितः–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3– श्री सुनिल बोहरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण संख्या 02 व 03
4– रेस्पोडेण्टगण संख्या 04 व 05 अनुपस्थित
5– श्री रामचन्द्र देवपुरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण संख्या 06 से 10 तक अनुपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

–::निर्णय::–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा राजस्व ग्राम टिबाना, पटवार हल्का टोगी, तहसील भीम में स्थित आराजी संख्या 30 से 32 तक एवं 90 से 97 तथा 142 से 147, 152, 155, 162, 163, 166, 169, 170, 172, 224, 936, 1689, 1692, 1695, 1696, 1713 से 1716 तक कुल किता 36 कुल रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजि न. 173 रकबा 2 बिघा 3 बिस्वा भूमि स्थित थी उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता विरदसिंह के नाम पर खातेदारी मे दर्ज रही थी। विरदसिंह के विरासत के आधार पर उपरोक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10 के नाम पर फैसल किया गया जो विधि विरूद्ध है अपीलार्थी विरदसिंह का पुत्र है वादग्रस्त भूमी जो राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के पिता विरदसिंह के नाम पर संयुक्त खातेदारी के रूप में अंकित थी जिसका नामान्तरण अपीलांट के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज न कर रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 के नाम पर दर्ज कर दिया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है जो अपास्त होने योग्य है नामान्तरण फैसल करने में विधिक वारिसान कि सही जांच नही कि गयी तथा अपीलांट हिन्दु विधि अनुसार वारिस होते हुए भी उसका नाम वारिस के रुप में अंकित नहीं किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट के साथ देउबाई के विरासत का जो नामान्तरण स्वीकृत किया गया था उसमें अपीलार्थी का नाम विरदसिंह के पुत्र के रूप में अंकन किया गया है। नामान्तरण संख्या 714 इस संबंध में स्वीकृत किया गया है। उसके विपरीत जाकर यह नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तरण स्वीकृत करने के उपरान्त इसका दाखिला राजस्व रेकार्ड में भी नामान्तरण संख्या 714 की स्वीकृति के बाद जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 714 निर्णय दिनांक 05.02.2016 की अनुपालना में राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया उसमें भी मेघसिंह का नाम जमाबंदी में दर्ज किया गया लेकिन बाद में उसी पटवारी हल्का द्वारा नया विरासत का नामान्तरण प्रशासन गांवों के संग राजस्व शिविर में उक्त नामान्तरण संख्या 757 नया भरकर विरदसिंह के वारिसान के रूप में अपीलार्थी के स्थान पर अन्य वारिस बताते हुए विपक्षी संख्या 2 से 10 का नाम अंकित कर दिया जो न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि यह सारी कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 10 तक मिलकर फर्जीवाडे में कि गयी है। पटवारी हल्का द्वारा फर्जी व कूटरचित कार्यवाही करतें हुए राजस्व रेकार्ड में हेराफेरी करतें हुए यह नामान्तरण दर्ज किया है जो विधि विरूद्ध है और अपास्त होने योग्य हैं। साथ ही उक्त नामन्तरकरण अवैध आदेश को चुनौती देने के लिये कोई मयाद नहीं है और मामला अपीलांट की जायदाद से संबन्धित है और उसके विधिक हक, अधिकार जुडे हुए है राजस्व अधिकारीयों कि गलती से फर्जीरूपेण विरासत की जांच किये बगैर अपीलांट के वैध हक व अधिकार अवैध रुप से समाप्त किये गये है और अपीलांट को बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित नामान्तरकरण फैसल किया गया है जो विधि विरूद्ध है अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 12.07.2017 को अपास्त फरमाया जाकर उक्त भूमि

में अपीलार्थी का नाम विरदसिंह के विरासत के रूप में मेघसिंह पिता विरदसिंह के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्टगण संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता सुनिल बोहरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्टगण संख्या 04 व 05 अनुपस्थित व रेस्पोडेन्टगण संख्या 06 से 10 तक के अधिवक्ता रामचन्द्र देवपुरा अनुपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम टिबाना, पटवार हल्का टोगी, तहसील भीम में स्थित आराजी संख्या 30 से 32 तक एवं 90 से 97 तथा 142 से 147, 152, 155, 162, 163, 166, 169, 170, 172, 224, 936, 1689, 1692, 1695, 1696, 1713 से 1716 तक कुल किता 36 कुल रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजि न. 173 रकबा 2 बिघा 3 बिस्वा भूमि स्थित थी उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता विरदसिंह के नाम पर खातेदारी मे दर्ज रही थी। विरदसिंह के विरासत के आधार पर उपरोक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10 के नाम पर फैसल किया गया जो विधि विरूद्ध है अपीलार्थी विरदसिंह का पुत्र है वादग्रस्त भूमी जो राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के पिता विरदसिंह के नाम पर संयुक्त खातेदारी के रूप में अंकित थी जिसका नामान्तरण अपीलांट के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज न कर रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 के नाम पर दर्ज कर दिया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है जो अपास्त होने योग्य है नामान्तरण फैसल करने में विधिक वारिसान कि सही जांच नही कि गयी तथा अपीलांट हिन्दु विधि अनुसार वारिस होते हुए भी उसका नाम वारिस के रुप में अंकित नहीं किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट के साथ देउबाई के विरासत का जो नामान्तरण स्वीकृत किया गया था उसमें अपीलार्थी का नाम विरदसिंह के पुत्र के रूप में अंकन किया गया है। नामान्तरण संख्या 714 इस संबंध में स्वीकृत किया गया है। उसके विपरीत जाकर यह नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तरण स्वीकृत करने के उपरान्त इसका दाखिला राजस्व रेकार्ड में भी नामान्तरण संख्या 714 की स्वीकृति के बाद जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 714 निर्णय दिनांक 05.02.2016 की अनुपालना में राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया उसमें भी मेघसिंह का नाम जमाबंदी में दर्ज किया गया लेकिन बाद में उसी पटवारी हल्का द्वारा नया विरासत का नामान्तरण प्रशासन गांवों के संग राजस्व शिविर में उक्त नामान्तरण संख्या 757 नया भरकर विरदसिंह के वारिसान के रूप में अपीलार्थी के स्थान पर अन्य वारिस बताते हुए विपक्षी संख्या 2 से 10 का नाम अंकित कर दिया जो न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि यह सारी कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 10 तक मिलकर फर्जीवाडे में कि गयी है। पटवारी हल्का द्वारा फर्जी व कूटरचित कार्यवाही करतें हुए राजस्व रेकार्ड में हेराफेरी करतें हुए यह नामान्तरण दर्ज किया है जो विधि विरूद्ध है और अपास्त होने योग्य हैं।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता द्वारा भी लिखित में उक्त नामान्तरण निरस्त करने एवं अपीलार्थी के नाम पर भूमि दर्ज करने की लिखीत सहमती प्रस्तुत की हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, भीम द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरण विरदसिंह पिता गोविन्दसिंह के विरासत के नामान्तरण को इस आधार पर चुनौती दी है कि अपीलार्थी मेघसिंह मृतक का पुत्र है और उसके नाम पर उक्त नामान्तरण स्वीकृत न कर रेस्पोडेन्ट के नाम पर स्वीकृत किया गया है जबकि अपीलार्थी ही मृतक का एक मात्र वारिस है इसी भूमि के संबंध में अपीलार्थी की दादी देउबाई के विरासत का नामान्तरण संख्या 714 दिनांक 05.02.2016 स्वीकृत किया गया था जिसके आधार पर सजरे में विरदसिंह के वारिस के रूप में मेघसिंह का नाम अंकित किया गया था तथा इस नामान्तरण की पालना में जमाबन्दी में इसका अंकन किया गया था जिसमें अपीलार्थी का नाम विरदसिंह के वारिस के रूप में अंकित किया गया हैं। जिसे पटवारी हल्का टोगी द्वारा नकल जारी करने के बाद में परिवर्तित करते हुए अपीलार्थी का नाम हटाकर रेस्पोडेन्ट के नाम पर जमीन दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। और उक्त नामान्तरण में विरदसिंह को लाऔलाद बताया गया हैं। इसकी पुष्ठि स्वरूप अपालार्थी द्वारा जमाबन्दी की नकले पेश की गई तथा विरदसिंह का पुत्र होने के अपने पहचान के राजकीय दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 द्वारा भी लिखीत में उक्त नामान्तरण निरस्त करने एवं अपीलार्थी के नाम पर भूमि दर्ज करने की लिखीत सहमती प्रस्तुत की हैं। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण में विरदसिंह के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से वारिसान के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने का निर्णय दिया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांकः 12.07.2017 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, भीम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक विरदसिंह के विधिक वारिसान की पुनः जांच की जावे एवं नये सिरे से वारिसान के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द